

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक:- 09 अक्टूबर, 2025

जिला स्तरीय ई.वी.एम. कोषांग के नोडल पदाधिकारियों, सूचना विज्ञान पदाधिकारियों, आई.टी. प्रबंधकों एवं अन्य तकनीकी कर्मियों को ई.वी.एम. रैंडमाइजेशन प्रक्रिया का प्रशिक्षण

भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के सचिव, श्री मधुसूदन गुप्ता, ECIL हैदराबाद के विशेषज्ञों श्री ए.पी. राजू एवं श्री आदित्य सी.जी. के द्वारा आज दिनांक 09.10.2025 को बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 की तैयारियों के क्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी जिलों के ई.वी.एम. कोषांग के नोडल पदाधिकारियों, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारियों, जिला आई.टी. प्रबंधकों एवं अन्य तकनीकी कर्मियों को EMS 2.0 पोर्टल के माध्यम से ई.वी.एम. के रैंडमाइजेशन प्रक्रिया का गहन प्रशिक्षण दिया गया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना के कार्यालय से ई.वी.एम. नोडल पदाधिकारी, श्री धीरज कुमार, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, श्रीमती प्रियदर्शी पाल एवं एस०एल०ए०, श्री ब्रजेन्द्र कुमार ने बैठक में सहभागिता की।

ईवीएम (EVM) का रैंडमाइजेशन प्रक्रिया निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए की जाती है। इसमें कंट्रोल यूनिट (CU), बैलेट यूनिट (BU) और वीवीपैट (VVPAT) को किसी विशेष मतदान केंद्र के साथ यादृच्छिक (Random) रूप से आवंटित किया जाता है। यह प्रक्रिया दो चरणों में होती है— प्रथम रैंडमाइजेशन जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों की उपस्थिति में होती है। इस प्रक्रिया में जिला स्तर पर FLC OK श्रेणी के EVM को विधानसभा क्षेत्रों को आवंटित किया जाता है, जबकि द्वितीय रैंडमाइजेशन निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अभ्यर्थियों एवं प्रेक्षक की उपस्थिति में संपन्न होता है। इस दौरान प्रथम रैंडमाइजेशन में विधानसभा क्षेत्र के लिए उपलब्ध कराये गये ईवीएम को मतदान केन्द्र आवंटित किया जाता है। जो ई०वी०एम० मतदान केन्द्रों को आवंटित करने के बाद बच जाते हैं उन्हें सुरक्षित के रूप में उपयोग किया जाता है। यह कार्य भारत निर्वाचन आयोग ई०वी०एम० प्रबंधन पोर्टल EMS 2.0 के माध्यम से किया जाता है।
